

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-25 / 10**  
**संस्थापित दिनांक-18.02.2010**  
**Filing no. 2351030004422010**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- नीरज सिंह पुत्र श्याम सिंह रघुवंशी उम्र 35 साल निवासी-ग्राम डगोरा फूड पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपी

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 12.10.2017 को घोषित)**

**01-** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25-1(ख) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 30.12.2009 को 17:05 बजे ग्राम कुकरेठा में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर और 2 जिन्दा कारतूस अपने आधिपत्य में रखे पाये गये।

**02-** संक्षिप्त अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता पी.पी.मुदगल दिनांक 30.12.2009 को थाना पिपरई में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा 706/30.12.2009 पर आमद मुखबिर की सूचना पर कि ग्राम कुकरेठा की टगर मे 4 बदमाश मय हथियारो के कुकरेठा आस-पास के गाँव में गंभीर अपराध वारदात करने की योजना बना कर छिप रहे है, सूचना की तस्दीक हेतु रोजनामचा सान्हा 77/30.12.09 पर मय फोर्स एसआई पाटिल, एसआई एन.पी.मौर्य, आरक्षक मानपाल सिंह, आरक्षक बृजेश त्यागी, आरक्षक जगदीश, आरक्षक नीरज सिंह सैनिक भारत सिंह मय साक्षी लल्लू ओझा निवासी प्यासी के साथ रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान पर कुकरेठा की टगर में जाकर मय फोर्स के घेरा बंदी की तो चारो बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे एक बदमाश को फोर्स की मदद से पकडा जिससे नाम पूछने पर अपना नाम नीरज सिंह पुत्र श्यामसिंह उम्र 24 साल निवासी डगोरा फूड थाना कोतवाली अशोकनगर बताया, उसकी तलाशी लेने पर उसकी बांयी तरफ कमर में एक कट्टा 315 बोर का मय दो जिन्दा राउंड पेंट की जेब से बरामद हुये, लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का पाया जाने से मौके पर जप्ती पत्रक तैयार कर जप्ती बनाई

तथा आरोपी नीरज सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया तथा थाना पर आकर अपराध कायम किया गया। अग्रिम विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये, कट्टे की जांच कराई, अभियोजन चलाने की अनुमति प्राप्त की तथा शेष अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

**03—** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25-1(ख) आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किया गया, अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर विचारण का दावा किया। अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04—** न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक **30.12.2009** को **17:05** बजे ग्राम कुकरेठा में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर और 2 जिन्दा कारतूस अपने आधिपत्य में रखे पाये गये ?

### **साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष**

**05—** साक्षी एन.पी. मौर्य अ0सा03 एवं पी.पी.मुदगल अ0सा04 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि दिनांक 30.12.2009 को थाना प्रभारी पी.पी.मुदगल को सूचना मिली थी कि ग्राम कुकरेठा की डगर में चार बदमाश हथियारबंद गंभीर घटना घटित करने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हमराह फोर्स ग्राम कुकरेठा की डगर में घेरा बंदी की तो चारो बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। एक बदमाश फोर्स की मदद से पकड़ा उसका नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम नीरज रघुवंशी निवासी ग्राम डगोरा का होना बताया, उसकी तलाशी लेने पर बांयी तरफ कमर से एक कट्टा 315 बोर का एवं दो जिन्दा राउन्ड पेंट की जेब से बरामद किये। कट्टा व राउन्ड रखने के संबंध में पूछने पर आरोपी ने कोई लाइसेंस न होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम का होने से साक्षी लल्लू ओझा एवं जगदीश प्रसाद शर्मा के समक्ष आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिन्दा राउन्ड जप्त किये थे। जप्ती पंचनामा प्र.पी. 3 है जिसके बी से बी भाग पर पी.पी. मुदगल अ0सा04 ने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

**06—** पी.पी. मुदगल अ0सा04 ने बताया कि आरोपी नीरज रघुवंशी को अवैध कट्टा एवं राउन्ड रखने के संबंध में साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। स्वतंत्र साक्षी लल्लू ओझा अ0सा02 ने प्र.पी. 2 के गिरफ्तारी पंचनामा एवं प्र.पी.3 के जप्ती पंचनामे के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया किन्तु उक्त साक्षी ने आरोपी को पुलिस द्वारा उसके समक्ष गिरफ्तार करने एवं आरोपी को जप्ती करने से इंकार किया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि स्वतंत्र

साक्षी लल्लू ओझा अ0सा02 ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह वि0 स्टेट ऑफ़ एम.पी, एआईआर 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में भी एक मात्र जप्तीकर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उसपर विश्वास किया जा सकता है। न्याय दृष्टांत **करमजीत सिंह वि0 स्टेट देहली एडमिनिस्ट्रेशन "2003" 5 एससीसी 297** के अनुसार पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिए, विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है। यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लेना चाहिये, अच्छे आधारों के बिना पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास न करना और संदेह करना उचित न्यायिक परिपाटी नहीं है।

**07—** प्रकरण में महत्वपूर्ण यह है कि घटना दिनांक को आरोपी नीरज रघुवंशी से एक 315 बोर का कट्टा मय जिन्दा राउन्ड जप्त किया गया था, जिसका की उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस संबंध में एन.पी.मौर्य अ0सा03 एवं पी.पी. मुदगल अ0सा04 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रही है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान बताया कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.2 के कॉलम नम्बर 8 में आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसके पास से कोई वस्तु जप्त होने का उल्लेख नहीं है। यह बात सही है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.2 के कॉलम नम्बर 8 में आरोपी द्वारा जप्तशुदा किसी वस्तु का कोई उल्लेख नहीं है।

**08—** प्र.पी.2 के गिरफ्तारी पंचनामे अनुसार अभियुक्त नीरज रघुवंशी को 17:15 बजे गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख है और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 3 का अवलोकन करने से आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा एवं 2 जिन्दा राउन्ड दिनांक 30.12.09 को ही 17:05 बजे जप्ती किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में पी.पी. मुदगल अ0सा04 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में इस बात को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पंचनामे में आरोपी नीरज रघुवंशी से कोई वस्तु बरामद न होने का उल्लेख है, किन्तु आरोपी नीरज सिंह रघुवंशी से गिरफ्तारी के पूर्व ही एक कट्टा 315 बोर एवं 2 जिन्दा राउन्ड बरामद किये थे जो कि गिरफ्तारी के पूर्व ही प्र.पी.3 के जप्ती पंचनामे अनुसार जप्त कर लिये थे। उक्त जप्ती के अलावा गिरफ्तारी के समय कोई भी अन्य वस्तु आरोपी से बरामद न होना व्यक्त किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी नीरज से गिरफ्तारी के पूर्व ही प्र.पी. 3 के अनुसार जप्ती कर ली गई थी। पी.पी.मुदगल अ0सा04 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि जप्तशुदा कट्टा एवं 2 जिन्दा राउन्ड वही है जिसे उसके द्वारा आरोपी से जप्त किये थे। जप्तशुदा कट्टा आर्टिकल "अ" है तथा दोनों जिन्दा राउन्ड क्रमशः आर्टिकल "बी एवं सी" है।

**09—** अभियुक्त नीरज रघुवंशी ने उसके अभियुक्त परीक्षण के पैरा 31 में बताया कि उसे झुठा फसाया गया है। इस संबंध में एन.पी.मौर्य अ0सा03, पी.पी.मुदगल अ0सा04 से अभियुक्त की कोई पूर्व रंजिश रही है जिसे लेकर उन्होंने एक कट्टा 315 बोर एवं 2 जिन्दा राउन्ड प्लान करके अभियुक्त को मामले में लिप्त किया हो ऐसे तथ्य भी

अभिलेख पर नहीं है। प्रेमसिंह अ0सा01 ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 31.01.2010 को पुलिस लाईन अशोकनगर में प्रधान आरक्षक आर्म्स मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना पिपरई के अ0क0 194/09 में जप्तशुदा कट्टे की जांच की थी जो लोहे का हाथ का बना 315 बोर का था। कट्टे का ट्रिगर, हेमर, इन फायरिंग ठीक से कार्य कर रहे थे और कट्टा चालू हालत में होकर कट्टे से फायर हो सकता था। कट्टे के साथ 2 राउन्ड प्राप्त हुए थे जो जिन्दा हालत में थे। कट्टा जांच हेतु सीलबंद अवस्था में चपड़ी से सीलबंद थाना पिपरई से प्राप्त हुआ था और जांच उपरांत सीलबंद वापस किया गया था। उक्त साक्षी के द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने कट्टे को तकनीकी रूप से जांच किया था उसे चलाकर नहीं देखा था। वैसे भी कट्टा चलाकर देखना आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञ व्यक्ति कट्टे को खाली हालत में एक्शन चेक करके यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उक्त कट्टे से फायर किया जा सकता है अथवा नहीं, अन्य कोई संदेह का कारण इस साक्षी के कथन में नहीं है।

**10—** अमरलाल कौशिक अ0सा05 ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 08.02.2010 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय जिला अशोकनगर में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना पिपरई के अ0क0 194/09 की केस डायरी जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर अभियुक्त नीरज रघुवंशी से जप्तशुदा 315 बोर के कट्टे एवं दो जिन्दा राउन्ड के संबंध में अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी। जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा उक्त केस डायरी एवं जप्तशुदा कट्टा एवं राउन्ड का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त नीरज के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी जो प्र.पी.6 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी गीता मिश्रा के हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह पहचानता है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसके द्वारा केस डायरी के साथ प्रस्तुत कट्टे एवं राउन्ड का अवलोकन नहीं किया गया था। स्वतः कहा जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया था। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **गुरुदेव सिंह उर्फ गोगा वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. आई.एल.आर 2011 एमपी2053** में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि अभियोजन चलाने की मंजूरी लेते समय आयुध को प्रस्तुत करना और प्रार्थीकारी द्वारा उसका परीक्षण करना आवश्यक नहीं होता है। अतः सीलबंद पैकेट न खोलने और परीक्षण न करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

**11—** इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण विवेचना में अमरलाल कौशिक अ0सा05 द्वारा अभियोजन स्वीकृति को प्रेमसिंह अ0सा01 द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा कट्टे एवं राउन्ड के बर्कवल होने एवं एन.पी.मौर्य अ0सा03, पी.पी.मुदगल अ0सा04 द्वारा आरोपी से एक 315 बोर कट्टा मय जिन्दा राउन्ड के जप्त करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने एवं आरोपी पर जप्तशुदा कट्टे का लाइसेंस न होने के संबंध में अभियोजन घटना को प्रमाणित किया है। अतः अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक **30.12.2009 को 17:05** बजे ग्राम कुकरेठा में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर और 2 जिन्दा कारतूस

अपने आधिपत्य में रखे पाये गये। अतः अभियुक्त नीरज रघुवंशी पर लगाये गये आरोप धारा 25-1(ख) आयुध अधिनियम 1959 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

**12—** दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित व खुले न्यायालय में  
घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

### पुनश्च:

**13—** दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त को सुना गया, उसकी ओर से यह तर्क किया गया कि वह प्रथम अपराधी है इसलिये उसके विरुद्ध नरम रुख अपनाया जाये। अभियोजन ने इसका विरोध कर अभियुक्त को शिक्षाप्रद दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

**14—** उभयपक्ष की उक्त प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन उपरांत आरोपी द्वारा जिस प्रकार बिना अनुज्ञिति के एक 315 बोर का कट्टा एवं 2 जिन्दा राउन्ड रखे हुए पाया गया है उसे देखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देने का ये उचित मामला नहीं है। बल्कि न्यूनतम निर्धारित दण्ड से दण्डित करने का यह उचित मामला है। अतः अभियुक्त नीरज रघुवंशी पुत्र श्याम सिंह रघुवंशी उम्र 35 साल निवासी ग्राम डगोरा को धारा 25-1(ख) आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भुगताया जावे।

**15—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**16—** प्रकरण में जप्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिन्दा राउन्ड अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर को निराकरण के लिये भेजी जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार माल का निराकरण किया जावे।

**17—** अभियुक्त के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

**18—** अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति धारा 363 (1) द0प्र0स0 के तहत दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0